न्यायालय–समाहर्त्ता, सहरसा।

वासगीत पर्चा रद्दीकरण वाद संख्या – 03/2017

अमित कुमार ठाकुर बनाम उर्मिला देवी

– :: आदेश :: –

30.8.18

प्रस्तुत वासगीत पर्चा रद्दीकरण वाद अपीलार्थी अमित कुमार ठाकुर द्वारा दिनांक 20.02.2016 को अंचलाधिकारी, सत्तरकटैया द्वारा विपक्षी उर्मिला देवी के नाम से निर्गत वासगीत पर्चा के विरुद्ध दायर किया गया है।

अपीलार्थी का कहना है कि यह जमीन जिसका पर्चा विपक्षी को दिया गया है वह मौज–बिहरा, ग्राम पंचायत–बिहरा वार्ड संख्या – 07, थाना–बिहरा, अंचल–सत्तरकटैया, जिला – सहरसा में अवस्थित है, जिसका खाता नं०–8 पु०, खेसरा पु०–3683, रकवा– 1. ½ डी० का पर्चा अंचलाधिकारी के द्वारा विपक्षी उर्मिला देवी, ग्राम पंचायत–बिहरा, अंचल–सत्तरकटैया, जिला–सहरसा के नाम निर्गत किया गया है। अपीलार्थी का आगे कहना है कि उपरोक्त खाता व खेसरा की जमीन आवेदक के पूर्वज कनकी ठाकुर के नाम से पुराना खतियान में इन्द्राज है। कनकी ठाकुर ताजिन्दगी दखलकार रहे। उनको एक लड़का भोला ठाकुर था, जो कनकी ठाकुर के मरने के बाद उपरोक्त खाता खेसरा की जमीन का हकदार वो दखलकार हुए व भोला ठाकुर के मरने के बाद उनका एक मात्र लड़का हरेराम ठाकुर उपरोक्त खाता खेसरा पर हकदार व दखलकार चले आ रहे है। हरेराम ठाकुर को तीन लड़का अमित ठाकुर, अंजनी ठाकुर एवं प्रभु ठाकुर उर्फ लवली ठाकुर है। उपरोक्त खाता खेसरा का कुल रकवा – 2 क० 6 घुर है जो वासडीह की जमीन अपीलार्थी के हिस्से की है। उसपर अपीलार्थी चहारदिवारी देकर दखलकार व हकदार रहते चले आ रहे है व अभी तक दखलकार है। अपीलार्थी का आगे कहना है कि विपक्षी उर्मिला देवी का उम्र 50 वर्ष है, उसकी शादी 20 वर्ष पूर्व हुई और वे अपने ससुराल में 25 वर्ष से दुरागमन के बाद से रह रहे है। सरकार के कानून के मोताविक उस आदमी को जमीन का पर्चा मिलेगा जिसको जमीन और घर नहीं है और जमीन मालिक को पर्चा निर्गत करने के पहले नोटिस देना अनिवार्य है लेकिन ऐसा अंचलाधिकारी ने नहीं किया। यह कि अंचलाधिकारी को कोई हक व वजह किसी के वासगीत जमीन में से किसी को काटकर दे देना नहीं है। विपक्षी उर्मिला देवी और उसके पति को सा०–बिहरा, ग्राम पंचायत–बिहरा वार्ड संख्या–07 थाना–बिहरा, अंचल–सत्तरकटैया में खाता – 04, खेसरा – 3699 रकवा 5 डीसमल जमीन है, उसमें मकान बना कर रह रही है। उसमें विपक्षी के द्वारा इन्दिरा आवास का लाभ 2008–09 में मिला है, जिस इन्दिरा आवास का सब रूपया उठाकर उर्मिला देवी और उसके पति घर बनाकर परिवार के साथ रह रहें है। अपीलार्थी का आगे कहना है कि अंचलाधिकारी, सत्तरकटैया द्वारा बिना जाँच पड़ताल किये, जिनको अपना घर, 5 डीसमल जमीन है, उनके नाम पर्चा निर्गत किया जाना कोई औचित्य नहीं है। अंचलाधिकारी, सत्तरकटैया ने गलत लिखा है कि पर्चा बाली जमीन पर उर्मिला देवी का परवाना था, जबकि विपक्षी उर्मिला देवी का पर्चा वाली जमीन पर कभी कोई दखल कब्जा नहीं था व न है व कर्मचारी ने गलत रिपोर्ट दिया है। अंचलाधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 30.11.2010 में सरासर नाजायज लिखा है कि खेसरा संख्या – 3683 पर विगत चालिस वर्षों से विपक्षी दखलकार है जबकि उर्मिला देवी का उम्र अभी 50 वर्ष होगा तथा 20 वर्ष पहले उसकी शादी हुई है तथा 25 वर्ष से रह रही है। विपक्षी का आगे कहना है कि विपक्षी उर्मिला देवी ने पर्चा वाली जमीन में बने झोपड़ी में आग लगा दिया तथा आवेदक पर झूठा केस कांड संख्या – 135/10 कर दिया। केस के अंतिम प्रतिवेदन संख्या – 08/11 दिनांक 31.01.2011 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि नरेश महतो ने अपने झोपड़ी में आग लगाकर जमीन हड़पने की नियत से हरेराम ठाकुर वगै० को फंसाया है। अपीलार्थी का आगे कहना है कि अपीलार्थी उपरोक्त जमीन खाता पु० – 8, खेसरा पुराना–3683, रकवा – 2 कट्ठा 6 घूर जमीन चहारदिवारी देकर वर्षों से शांतिपूर्ण दखलकार चले आ रहे है तथा विपक्षी उर्मिला देवी के नाम से निर्गत गलत पर्चा को कैंसिल करने का अनुरोध किया गया है।

प्रतिपक्षी उर्मिला देवी का कहना है कि विवादित भूमि मौजा–बिहरा, खाता– 08, खेसरा–3683, रकवा–2 डीसमल पर कई 12 वर्षों से फूस का घर–मकान बनाकर रह रही है। वो उसी जमीन पर बने घर के स्नानागार करते समय में अपीलार्थी के पिता हरेराम ठाकुर ने प्रतिपक्षी के साथ घटित घटना में थानाध्यक्ष, बिहरा को आवेदन दिया वो जाँच पड़ताल के पश्चात थाना कांड संख्या–511/94 वर्तमान में न्यायालय में लम्बित है। अपीलार्थी द्वारा जो वंशवृक्ष दर्शाया गया है उक्त खाता खेसरा की जमीन से अपीलार्थी या इनके पिता से या इनके वंशज से कोई सम्पर्क नहीं है।

30.8.18

चाली फरेव कर कागजात तैयार करवाया गया है इसलिए अपीलार्थी उक्त जमीन का रैयत कहलाने लायक नहीं है। अपीलार्थी के पिता ने विवादित भूमि पर बने फूस का मकान, जिसमें दिनांक 25.12.2010 को रात्रि 11.00 बजे में आग लगा दिया, जिसपर बिहरा थाना कांड संख्या –135/10 धारा–436/34 अंकित किया गया। प्रतिपक्षी का आगे कहना है कि अपीलार्थी के द्वारा बार–बार पैसे के बल पर पर्चाधारी को तंग किया जा रहा है। 2008–09 में इन्दिरा आवास मिला वो घर मकान बनाया को सरासर गलत बताया गया है। प्रतिपक्षी द्वारा अपीलार्थी के पर्चा रद्दीकरण वाद संख्या – 03/17 को साथ हर्जाना खारिज करने की याचना की गई है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना। अभिलेख तथा इसके साथ संलग्न कागजातों का अवलोकन किया। स्थलीय जाँच में पाया गया कि विपक्षी वर्षों से उक्त जमीन पर रह रहे हैं तथा उनके पास अन्यत्र जमीन होने का कोई साक्ष्य भी अभिलेख में नहीं है तथा अपीलार्थी ने भी इस संबंध में कोई तथ्य नहीं दिया है। प्रतीत होता है कि अपीलार्थी द्वारा ही पर्चाधारी को बार–बार नाहक परेशान किया जा रहा है।

अतः अपीलवाद अस्वीकृत किया जाता है तथा अंचलाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि यदि पर्चाधारी के वास भूमि पर अन्यथा व्यवधान उत्पन्न किया जाता है तो सुसंगत कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

लेखापित एवं शुद्धिकृत।

समाहर्त्ता,
सहरसा।

समाहर्त्ता
सहरसा।

ज्ञापांक 1404-2 /विधि, सहरसा, दिनांक 13-09-2017.

प्रतिलिपि :– मूल अभिलेख संलग्न करते हुए अंचलाधिकारी, सत्तरकटैया, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना–विज्ञान अधिकारी, एन०आई०सी०, सहरसा को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

14.09.17

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा, सहरसा।